न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 14/2022

अपीलांट –
भगवानाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कुम्भावास (गालाबेरी) तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. सताराम पुत्र पुरखाराम
2. कौशलाराम पुत्र पुरखाराम
3. अचलाराम पुत्र पुरखाराम
4. जैसाराम पुत्र हरजीराम
5. गोमाराम पुत्र हरजीराम
6. मूलाराम पुत्र हरजीराम
7. मेहाराम पुत्र हरजीराम

जाति जाट निवासी कुम्भावास, गालाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर

8. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./549 दिनांक 08.02.2022 जो अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1से7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री कुम्भाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से7 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 8 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 23.11.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 549 दिनांक 08.02.22 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा कुम्भावास स्थित खसरा नबंर 387, 388 रकबा क्रमशः 00–04, 167–00 बीघा कुल रकबा 167–04

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बीघा भूमि भगवानाराम, सताराम, कौशलाराम, अचलाराम पि0 पुरखाराम, जैसाराम, गोमाराम, मूलाराम, मेंहाराम पि0 हरजीराम कौम जाट सा0 देह खातेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज थीं। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर अपने आदेश क्रमांक : राजस्व/549 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.03.2022 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाड़मेर से अपीलाधीन अभिलेख एवं विवादित भूमि की मौका–कब्जा की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। सह खातेदारान के मध्य भूमि के विभाजन में भूमि की किस्म, उपजाऊपन व समतल–धोरे की स्थिति एवं पक्षकारान के कब्जा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था किन्तु अपीलाधीन आदेश में इस अहम मुद्दे को अनदेखा किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे में है तथा रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आई भूमि अपीलांट के कब्जे में रहवासीय ढाणिया बनी हुई है। लिहाजा मौके पर कब्जा–काश्त एवं नक्शा ट्रेस में भिन्नता होने से अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में नामान्तरकरण भी पारित कर दिया गया तथा लट्ठा ट्रेस में अलग–अलग तरमीम भी कर दी गई जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। वर्तमान में रेस्पोडेंट सं. 1से7 द्वारा अपीलांट के कब्जे–काश्त में हस्तक्षेप

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कर जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जाने लगा तथा हल्का पटवारी से पैमाईश करवाकर नक्शे में तरमीम अनुसार काश्त करने का कहा, जिस पर अपीलांट को अपने हक–हिस्सा संशयप्रद लगने पर आलौच्य विभाजन आदेश की दिनांक 18.02.2022 को नकल प्राप्त की गई। इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी होने पर यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1से7 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में सभी सहखातेदार का आपसी सहमति से किये बाहमी बंटवाडा अनुसार कब्जा–काश्त हैं तथा मौके पर पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढ़ाणियां बनी हुई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत एवं मनगढ़त आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन हुआ है। अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश स्वंय अपीलांट की उपस्थिति एवं उसकी स्वतंत्र सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हैं जिसके विरूद्ध यह अपील चलने योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट की यह अपील रेस्पोडेंट को परेशान करने के लिए एवं हर्जे–खर्चे से परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा कुम्भावास के खेत खसरा नबंर 387, 388 रकबा क्रमशः 00–04, 167–00 बीघा कुल रकबा 167–04 बीघा भूमि भगवानाराम, सताराम, कौशलाराम, अचलाराम पि0 पुरखाराम, जैसाराम, गोमाराम, मूलाराम, मेहाराम पि0 हरजीराम कौम जाट सा0 देह खातेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर अपने आदेश क्रमांक : राजस्व/549 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांट द्वारा अपील का वाद कारण प्रकट किया हैं कि रेस्पोडेंट ने जब अपीलांट को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी तब अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की तथा पता चला कि बंटवाडे में अपीलांट के कब्जा–काश्त की भूमि रेस्पोडेंट के खाते में डाल दी है जबकि अपीलाधीन विभाजन स्वयं अपीलांट की सहमति से पारित होना अभिलेखीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाडमेर

तौर पर स्पष्ट उल्लेखित है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि भूमि का विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं हुआ है इस संबंध में तहसीलदार बाड़मेर से मौका कब्जा रिपोर्ट तलब की गई जिसमें रेकर्ड एवं मौका कब्जा के संबंध में वस्तुस्थिति उल्लेखित की गई है। मौका रिपोर्ट में अपीलांट के अभिकथनों की ताईद नहीं होती हैं तथा सहमति विभाजन मौका–कब्जा अनुसार होना अवगत कराया हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested